ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपनी अपील में वर्णित तथ्यों का वर्णन
न स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।
ओर से कोई उजरात पेश नहीं किये गये।
गौर किया तथा पत्रावली के तथ्यों, प्रस्तुत रिकॉर्ड शाहदत एवं आक्षेपित
का अवलोकन किया। ग्राम सेवरा का नामान्तरकरण संख्या 744 दिनांक
को पटवारी हल्का द्वारा मृतक खातेदार साधूराम पुत्र मंगला की विरासत
त तेवडी के द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण–पत्र मय कुर्सीनामा वारिसान दिनांक
के आधार पर अपीलार्थीगण के नाम दर्ज किया गया। उक्त
पर पीठासीन अधिकारी द्वारा पटवारी हल्का के नाम आदेश किये गये कि
सों की पूर्ण जांच कर रिपोर्ट करें। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा इसकी
पर राजस्व कैम्प में मजमे आम में जांच पड़ताल नहीं की जाकर दिनांक
को नोट अंकित किया कि "श्रीमानजी वारिसान की जांच करने पर सही
जानकारी सही नहीं मिली है। अतः नामान्तरकरण विवादित है, खारिज
–अभिलेख निरीक्षक ने भी बिना कोई जांच पड़ताल किये ही रिपोर्ट
र नामान्तरकरण खारिज योग्य होने की अपनी जांच टिप्पणी अंकित
ीठासीन अधिकारी ने भी बिना कोई जांच पड़ताल किये एवं बिना
ीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये आक्षेपित नामान्तरकरण
दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत हैं तथा गैर
जबकि पीठासीन अधिकारी का दायित्व था कि वे मरहूम खातेदार के
ान एवं कायम मुकामान की जांच पड़ताल कराकर तथा ग्राम पंचायत
वारिसान के कुर्सीनामा का सत्यापन करवाकर गुणावगुण के आधार पर
के निस्तारण की कार्यवाही करते। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा
न्तरकरण के निस्तारण किये जाने में भारी कानूनी त्रुटि की है। इसलिए
य मन्सूख किये जाने योग्य है।
ों के विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ
रा ग्राम सेवरा के नामान्तरकरण संख्या 744 पर पारित अपीलाधीन आदेश
7/2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार तहसील विराटनगर
किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि वे सभी हितबद्ध पक्षकारों को
कर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर मृतक खातेदार के
सान एवं कायम मुकामान की गहन जांच पड़ताल करवाकर एवं ग्राम
ी द्वारा जारी कुर्सीनामा/वारिसान का सत्यापन करवाकर गुणावगुण के
िधि सम्मत पारदर्शी आदेश पारित करें। तहसीलदार, विराटनगर को निर्णय
साथ पालनार्थ तहरीर जारी हो।
दिनांक 09/05/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कोर्ट मुकाम
सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपुतली, (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)